

बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड
नि०कार्या०-विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

संख्या-

दिनांक-.....

प्रेषक,

संदीप पौण्डरीक
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी विद्युत अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत आपूर्ति अंचल
सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता,
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल



विषय: ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के बावजूद उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र भेजे जाने की शिकायत पर कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

विभिन्न श्रोतों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर के जले रहने/विद्युत आपूर्ति तार के कटे रहने आदि कारणों से कुछ गाँवों अथवा टोलों में बिजली की आपूर्ति एक समयावधि में नहीं हुई परन्तु इस तथ्य की जानकारी बिलिंग डाटा में नहीं रहने के कारण उपभोक्ताओं को उस अवधि का भी विद्युत विपत्र भेजा जा रहा है।

यदि किसी अवधि में क्षेत्र विशेष में बिजली की आपूर्ति नहीं हुई है तो उस अवधि का विद्युत विपत्र नहीं भेजा जाना चाहिए। विद्युत विपत्र को ठीक करने के लिए ऐसी शिकायतों की जाँच करने की आवश्यकता है। ऐसी शिकायतों की जाँच करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित वरीय समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी
2. संबंधित क्षेत्र के सहायक विद्युत अभियन्ता
3. संबंधित क्षेत्र के कनीय विद्युत अभियन्ता

उपर्युक्त जाँच विद्युत कम्पनी के दस्तावेजों के आधार पर तथा संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं उपभोक्ताओं से जानकारी प्राप्त कर के प्रतिवेदित करेंगे कि किस समयावधि में किस गाँव/टोला आदि की बिजली आपूर्ति बाधित रही है। यदि यह तथ्य सही पाया जाता है तो समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियन्ता उस क्षेत्र विशेष के उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में तदनुसार संशोधन करेंगे।

अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रक्रिया से अपने जिले/प्रमंडल में इस प्रकार की शिकायतों का निपटारा यथाशीघ्र करवाने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(संदीप पौण्डरीक)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

दिनांक- 14.12.2013

ज्ञाप संख्या- 415/CMD

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक, नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संदीप पौण्डरीक)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक